अनुसूची 14—फारम सं0 563   वाद संख्या 02/A.C./2013

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ 3
17-8-13	(see below)	

आदेश

विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख स्थित कागजातों का अवलोकन किया

डिमाण्ड रद्दीकरण वाद सं0–01/2006–07 की कार्यवाही अंतर्गत निम्नलिखित भूमि का डिमाण्ड रद्द करने हेतु अभिलेख एवं प्रस्ताव अंचल अधिकारी, अरवल एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अरवल के माध्यम से प्राप्त हुआ हैं।

<u>डिमाण्ड रद्दीकरण हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण :</u>

मौजा	थाना नं0	अंचल	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
मुरादपुर हुजरा	80	अरवल	40	59 एवं 193	14.84 एकड़
			41	55	02.55 एकड़

उक्त वाद हल्का कर्मचारी के प्रतिवेदन के आधार पर अंचल कार्यालय, अरवल में डिमांड रद्दीकरण की कार्यवाही प्रारंभ हुआ हैं। हल्का कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त खाता प्लॉट का कुल रकवा–17.43 एकड़ भूमि हैं, जो गैरमजरूआ मालिक एवं आम भूमि हैं। उक्त भूमि का गलत ढंग से लगान रसीद श्री महेन्द्र प्रसाद, पिता–रघुनाथ साव, ग्राम–मुरादपुर हुजरा थाना+जिला–अरवल द्वारा कटाया गया हैं। पुछने पर श्री महेन्द्र प्रसाद द्वारा बताया गया कि भुतपूर्व जमींदार के द्वारा उक्त भूमि बंदोवस्ती से हासिल हुआ हैं।

अंचल अधिकारी, अरवल [illegible] फलक दिनांक–04.07.2012 के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि [illegible] पंडित बिहारी लाल द्वारा निम्नलिखित भूमि क्रय किया गया था।

<u>खरीदगी भूमि का विवरण:-</u>

मौजा	थाना नं0	अंचल	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
मुरादपुर हुजरा	80	अरवल	40	194	05.64 एकड़
				59	09.96½ एकड़
				55	02.23 एकड़
				कुल	17.83½ एकड़

खतियान के अनुसार उपरोक्त खरीदगी प्लॉट सं0 55 आम गैरमजरूआ खाते की भूमि हैं, जो जमीन का किस्म खतियान में नाला अंकित हैं और शेष भूमि मालिक गैरमजरूआ खाते की भूमि हैं।

विपक्षी महेन्द्र प्रसाद के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि दिनांक–03.04.1941 को पंडित बिहारी लाल से निम्नवत भूमि आवेदक के पिता–रघुनाथ साव को निबंधित वसीका से प्राप्त हैं :–

मौजा	थाना नं0	अंचल	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
मुरादपुर हुजरा	80	अरवल	40	59	09.96 ½एकड़

डिमाण्ड रद्दीकरण हेतु प्रस्तावित उपरोक्त खाता सं0–41, प्लॉट सं0–55, रकवा–2.55 एकड़ एवं खाता सं0–41, प्लॉट सं0–193, की भूमि से आवेदक को कोई सरोकार नही हैं। विपक्षी महेन्द्र शर्मा के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी बताया गया कि उपरोक्त भूमि जमींदारी उन्मुलन के पूर्व रैयती भूमि हो गयी थी। चूँकि जमींदार स्लोनो स्टेट द्वारा उक्त भूमि के अलावे अन्य भूमि दिनांक–02.10.1924 को रामसेवक साव पिता–गोवद्धन साव, जाति–सुढ़ी को बंदोवस्त कर दिया गया था। परन्तु रामसेवक साव के द्वारा मालगुजारी का भुगतान नही किये जाने के कारण तत्कालीन जमींदार द्वारा मुंशिफ न्यायालय, जहानाबाद में निलामी का मुकदमा सं0–745 वर्ष 1937 में लाया गया था। उक्त भूमि के अलावे अन्य भूमि मुंशिफ साहब के न्यायालय से निलामी होने के बाद ठाकुर प्रसाद, जाति–सोनार को भूमि प्राप्त हुआ और इन्होने डिमाण्ड रद्दीकरण हेतु प्रस्तावित भूमि एवं अन्य भूमि को विभिन्न रैयतो के साथ बिक्री कर दिया गया, जिसमें से एक रैयत पंडित बिहारी लाल पिता–संतराम मिश्र द्वारा दिनांक–27.02.1939 को निम्नवत् भूमि खरीद किया गया :–

मौजा	थाना नं0	अंचल	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
मुरादपुर हुजरा	80	अरवल	40	59	09.96 ½एकड़

तदोपरांत दिनांक–03.04.1941 को प्लॉट सं0–59, की रकवा–09.96½ एकड़ भूमि रघुनाथ साव द्वारा खरीद की गयी, जिसका लगान बिहार सरकार को भुगतान की जा रही हैं। महेन्द्र प्रसाद के पिता–रघुनाथ साव के द्वारा उक्त कायत जमाबंदी की भूमि में से 02.23 एकड़ भूमि बिक्री किया गया हैं शेष रकवा–7.92 एकड़ भूमि का जमाबंदी बालू होना बताया गया हैं। विपक्षी महेन्द्र प्रसाद पिता–रघुनाथ साव द्वारा खाता सं0–40 एवं 41 की भूमि का मालगुजारी महाराज कुमार विश्वनाथ प्रसाद सिंह को देने से संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति दाखिल किया गया हैं। इस तरह विपक्षी के द्वारा जमाबंदी कायम रखने हेतु अनुरोध किया गया हैं।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख स्थित कागजातों के अवलोकन से इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रस्तावित डिमाण्ड रद्दीकरण की भूमि गैरमजरूआ आम एवं मालिक गैरमजरूआ खाते की भूमि हैं। विपक्षी के द्वारा कभी बंदोवस्ती एवं कभी नीलामी से प्राप्त होने का तर्क दिया गया हैं। स्लोनो स्टेट से भूमि बंदोवस्ती के बाद नीलामी बाद लाने का कोई कारण नही बनता हैं। साथ ही निलामी से संबंधित दाखिल सच्ची प्रतिलिपि पर किसी का हस्ताक्षर एवं विधिमान स्टाम्प द्रष्टव्य नही हैं। इससे प्रतीत होता है कि नीलामी से संबंधित दाखिल दस्तावेज फर्जी हैं। साथ ही विपक्षी के पिता रघुनाथ साव द्वारा प्लॉट सं0–59

रकवा–09.96½ एकड़ भूमि खरीदगी से प्राप्त था तो उनके पुत्र महेन्द्र प्रसाद के द्वारा महाराज कुमार विश्नाथ प्रसाद सिंह को तत्कालीन समय में मालगुजारी देने का कोई औचित्य नही बनता है। जैसा कि मालगुजारी रसीद के बाये हाशिये पर अंकित चाँद प्रेस, जहानाबाद और उसपर सन् 1361/13 साल अंकित किया गया है, जो यह बनावटी एवं फर्जी प्रतीत होता हैं।

अतः अंचल अधिकारी, अरवल द्वारा डिमाण्ड स्वीकरण हेतु प्रस्तावित भूमि का डिमाण्ड रद्द किया जाता है। इस आदेश से अंचल अधिकारी, अरवल को निदेश दिया जाता है कि डिमाण्ड स्वीकरण हेतु प्रस्तावित भूमि का जमाबंदी डिमाण्ड पंजी–2 से विलोपित कर अवगत कराना सुनिश्चित करेगें।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता,
अरवल।

अपर समाहर्त्ता
अरवल।